

Basmati Rice

Amendment to S.O. 6182

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page No. 2243

Dated 15-5-2004

व्यापिक्ष और उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(व्यापिक्ष विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2004.

क्रा. आ. 1139.—केंद्रीय सरकार निर्वाचित (बासमती नियन्त्रण और नियोजन) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शब्दितों का प्रयोग करते हुए बासमती चावल का निर्वाचित (बासमती नियन्त्रण और नियोजन) नियम, 2003 का 'संशोधन करने' के लिए नियन्त्रिति नियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम बासमती चावल का नियांत्रित (बासमती नियन्त्रण और नियोजन) संशोधन नियम, 2004 है।
- (2) ये राजभूत में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।
2. बासमती चावल का नियांत्रित (बासमती नियन्त्रण और नियोजन) नियम, 2003 नियम 8 के उप-नियम (ङ) का होम किया जाएगा।

[फा. सं. 6/2/2000—ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, नियंत्रक

टिप्पणी—मूल नियम भारत के राजभूत (असाधारण) में क्रा. आ. 68(अ), तारीख 23 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2004

S.O. 1139.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003, namely:

1. (1) These rules may be called the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2004.
- (2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003, in rule 8, sub-rule (e) shall be omitted.

[F. No. 6/2/2000-ECL&EPI]

RAJ SINGH, Director

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, vide S.O. 68(E) dated the 23rd January, 2003.